## न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

<u>आपराधिक\_प्रक0क्र0</u>—1183 / 15

संस्थित दिनाँक—10.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.अभियोगी

विरुद्ध

जयकुमार पुत्र रामचित्र गुर्जर उम्र 24 साल निवासी गिरगांव थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर

## <u>—ः निर्णय ः—</u> {आज दिनांक 18.04.2017 को घोषित}

मियुक्त पर आयुद्य अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25—(1—बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा।

- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि थाना गोहद चौराहे पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक स्रेशदत्त मिश्रा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नावली मोड ग्वालियर हाईवे के पास एक पल्सर मोटरसाईकिल काले रंग की आई है जिस पर तीन लडके वारदात करने की नियत से आ रहे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक पर मुखबिर के बताए स्थान पर मय फोर्स के पहुंचे तो वहां तीन लंडके एक मोटरसाईकिल पर आए और जिन्हें रोकने का प्रयास करने पर नावली मोड तरफ शर्मी फार्म हाउस के पास मोटरसाईकिल पटककर इधर उधर भागे जिनमें से एक व्यक्ति को एएसआई मिश्रा द्वारा आरक्षक अजीत व जितेन्द्र के साथ पकडा, नाम पता पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। तलाशी लेने पर उसके कमर में बांयी तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसके चैम्बर में खोलकर देखने पर एक जिंदा कारतूस लगा था। कट्टा व कारतूस रखने की अनुज्ञप्ति पूछे जाने पर अनुज्ञप्ति न होना बताया। आग्नेय आयुध जब्तकर जब्ती पत्रक, गिर० कर गिर0 पत्रक बनाया, थाने पर आकर अप0क0-270/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौराने अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए। जप्तशुदा कट्टा व कारतूस की जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।

- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -
  - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा ?

## <u>–ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

- 5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में जितेन्द्र गुर्जर अ०सा० 1, अजीत सिकरवार अ०सा० 2, महेन्द्रसिंह अ०सा० 3, सुनील बौहरे अ०सा० 04, सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 05 एवं किशनलाल राठौर अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।
- प्रकरण में जब्तीकर्ता अधिकारी सुरेशदत्त मिश्रा अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 6. 17.11.15 को थाना गोहद चोराहा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को जर्ये मुखबिर एस0ओ0 (थाने के भारसाधक अधिकारी) रामबाबू यादव को सूचना मिली तो उनके साथ शासकीय वाहन से वे लोग नावली रोड ग्वालियर हाईवे के पास गए जहां एक मोटरसाईकिल पल्सर काले रंग की जिस पर तीन लोग बैठे थे जिन्हें रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल नावली रोड की तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास पटक कर इधर उधर भागे तब उसने, आरक्षक अजीत व जितेन्द्र ने घेरकर पकडा तो एक व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जयकुमार पुत्र रामचित्र गुर्जर निवासी गिरगांव महाराजपुरा का होना बताया। अभियुक्त की तलाशी साक्षी द्वारा लेने पर बांयी तरफ कमर में पैंट के नीचे एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला जिसे खोलकर देखने पर चैम्बर में 315 बोर का जिंदा राउण्ड मिला। अभियुक्त से आग्नेय आयुध के संबंध में लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना व्यक्त किया। अभियुक्त से उक्त साक्षीगण के समक्ष कट्टा व कारतूस जब्तकर जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 बनाए जाने और उस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 2 बनाए जाने जिस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर करने का कथन करते हैं। अभियुक्त को मय आग्नेय आयुध थाने पर वापस लाकर रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज कर अप०क०-270 / 15 पर प्राथमिकी लेखबद्ध किए जाने का कथन करते हैं जो प्र0पी0 5 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।
- 7. जब्ती के साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 तथा अजीत सिकरवार अ०सा० 2 हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 17.11.15 को थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी आर०बी०एस० यादव, एएसआई एस०डी० मिश्रा, आरक्षक के साथ शासकीय वाहन से इलाका भ्रमण हेतु जाने का कथन करते

हैं। यह कथन करते हैं कि गश्त के दौरान मुखबिर से थाना प्रभारी को सूचना मिली कि नावली मोड हाईवे के पास पल्सर मोटरसाईकिल काले रंग की जिस पर तीन लड़के बैठे हैं। उक्त सूचना की तस्दीक में रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल को नावली मोड तरफ शर्मा फार्म हाउस के पास पटककर भागे जिनमें से एक अभियुक्त को पकड़ने का कथन करते हैं और शेष अभिसाक्ष्य में जब्दीकर्ता सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 5 के कथनों का समर्थन करते हुए जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व गिर0 पत्रक प्र0पी0 2 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं।

- प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह बचाव लिया गया है कि वह निर्दोष है, उसे झूंटा अपराध में लिप्त कर दिया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल / जब्ती स्थल सार्वजनिक स्थान बताया गया है फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदेहास्पद होने का तर्क प्रस्तुत किया है। साक्ष्य विधि के अधीन ऐसा कोई नियम नहीं हैं कि मात्र पुलिस साक्षी होने से अभियोजन के साक्षियों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु पुलिस साक्षी की साक्ष्य को भी साधारण साक्षी की भांति विश्लेषित व संपुष्टि की आवश्यकता होती है। जब्तीकर्ता अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह बताते हैं कि नावली रोड ग्वालियर हाईवे पर मोटरसाईकिल की सूचना प्राप्त हुई थी। जितेन्द्र अ०सा० 1 व अजीत अ0सा0 2 भी जब्ती स्थल हाईवे के निकट नावली मोड पर शर्मा फार्म हाउस के पास का होना बताते हैं। जब्तीकर्ता अ०सा० 5 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करते हैं कि नावली रोड आम रोड पर है, यह भी स्वीकार करते हैं कि नावली रोड पर कल्लू तोमर का भोजनालय है जहां होटल पर कार्य करने वाले, खाने वाले तथा वाहन भी खडे थे। यह भी कथन करते हैं कि जब अभियुक्त मोटरसाईकिल छोडकर भागा उस समय उपस्थित लोगों ने खड़े होकर देखा था फिर भी उन्होंने किसी भी सामान्य जन को साक्षी नहीं बनाया है। साक्षी अजीत अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि नावली तिराहा के पास एक पंचर की दुकान हैं एक ढावा व एक फार्म हाउस बना हैं। इस साक्षी का यह कथन महत्वपूर्ण हैं कि पुलिस फोर्स करीब आधा घण्टे तक उस स्थान पर खडा रहा फिर भी हाईवे व जनता अथवा स्थानीय व्यक्ति की उपलब्धता होने पर भी किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कथित कार्यवाही का साक्षी क्यों नहीं बनाया गया, यह प्रश्न अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न करता है। जितेन्द्र अ०सा० 1, अजीत अ०सा० 2 व जब्तीकर्ता अ०सा० 5 से भिन्न नावली रोड पर पंचर की दुकान होने के तथ्य के संबंध में इंकार करते हैं किन्तु नावली रोड के पास पुल के पास एक मंदिर होने का तथ्य स्वीकार करते हैं। ऐसे में जहां स्वतंत्र साक्षी की उपलब्धता थी फिर भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया, यह तथ्य संदेह उत्पन्न करता है।
- 9. जब्तीकर्ता अ०सा० 5 के कथन अनुसार थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई इसके उपरांत शासकीय वाहन से वे लोग नावली रोड ग्वालियर हाईवे पर पहुंचे थे। साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 व अजीत अ०सा० 2 इससे भिन्न कथन करते हुए बताते हैं कि वे लोग शासकीय वाहन से इलाका भ्रमण हेतु गए थे तब मुखबिर से थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात् सूचना की तस्दीक हेतु नावली रोड पर गए थे। ऐसे में जब्तीकर्ता एवं जब्ती साक्षी जो पुलिस विभाग के व्यक्ति हैं इसके बावजूद भी उनके कथनों में तात्विक विरोधाभास दर्शित है। यह तथ्य संदेह का आधार उत्पन्न करता है।

- प्रकरण में जब्ती साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 यह कथन कण्डिका 4 में करते हैं कि जब्तीकर्ता अ०सा० 10. 5 ने अभियुक्त से जब्ती कर मौके पर लिखापढी बैठकर की थी और कट्टा व कारतूस को सीलबंद किया था। जब्तीकर्ता अ०सा० 5 द्वारा कथित आग्नेय आयुध को सीलबंद किए जाने का कोई तथ्य अपने मुख्य परीक्षण में नहीं किया है। प्र0पी0 1 के जब्ती पत्रक में कॉलम नं 13 नमूना सील का कॉलम हैं उसमें कोई नमूना सील अंकित नहीं हैं जबकि प्र0पी0 1 पर नोट अंकित है कि "पंचान समक्ष विधिवत जब्तीकर जब्ती चिट चस्पा की है।" इस प्रकार से कोई नमूना सील अंकित किए जाने का तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। इसके विपरीत आरमोरर सुनील बौहरे अ०सा० ४ के रूप में परीक्षित कराए गए तो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि कट्टे की सील उनके द्वारा खोली गयी थी, यह भी कथन करते हैं कि कपडे की पपडी पर पी0एस0 गोहद चौराहा की सील लगी थी जबकि प्र0पी0 1 में कोई नमूना सील अंकित नहीं हैं ऐसे में आरमोरर सुनील अ0सा0 4 के पास जो आग्नेय आयुध भेजा गया उसके संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है। प्रकरण में संपूर्ण अभिलेख पर आग्नेय आयुध के थाने के मालखाने के किस नंबर पर जमा किया गया इसका कोई भी उल्लेख नहीं हैं। ऐसे में अभिकथित आग्नेय आयुध की अनन्यता ही प्रश्नचिन्हित हो जाती है। अभियोजन साक्षियों ने अभिकथित कट्टा व कारतूस की पहचान का कोई विशिष्ट चिन्ह या संकेत नहीं बताया है ऐसे में जो कट्टा व कारतूस अभियुक्त से जब्त करना दर्शाया है क्या वही आरमोरर व अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला दण्डाधिकारी के समक्ष भेजा गया, यह तथ्य संदेहास्पद हो जाता है।
- 11. प्रकरण में जब्तीकर्ता अ०सा० 5 के अनुसार एवं जितेन्द्र अ०सा० 1 व अजीत अ०सा० 2 के अनुसार कथित मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति बैठे थे जबिक साक्षी जितेन्द्र अ०सा० 1 यह बताते हैं कि उन व्यक्तियों के संबंध में भी लिखापढी हुई थी। अजीत अ०सा० 2 यह कण्डिका 3 में बताते हैं कि अभियुक्त जयकुमार के अतिरिक्त अन्य को नहीं पहचान सकते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम तो यदि अभ्युक्त के साथ में अन्य व्यक्तियों को पकड़ा गया तो उनके संबंध में भी इसी प्रकरण में तथ्य स्पष्ट होने चाहिए थे जिनका अभाव है। साथ ही जब किसी स्थान पर तीन व्यक्तियों को एक साथ पकड़ा जावे तो केवल एक को पहचान पाने का कथन संदेह उत्पन्न करता है।
- 12. महेन्द्र अ०सा० 3 आर्म कलर्क है जो दिनांक 04.12.15 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में कथित आग्नेय आयुध प्रस्तुत करने पर केस डायरी अवलोकन उपरांत जिला दण्डाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्र0पी० 3 दिया जाना बताते हैं जिस पर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर होने का कथन करते हैं। साक्षी आरमोरर सुनील अ०सा० 4 के द्वारा दिनांक 24.11.15 को कट्टा व कारतूस की जांच करने पर कट्टा चालू हालत में व कारतूस जीवित अवस्था में होने का कथन करते हुए प्र0पी० 4 की रिपोर्ट तैयार करना बताते हैं। किशनलाल अ०सा० 6 अनुसंधानकर्ता हैं जो जितेन्द्र अ०सा० 1 व अजीत अ०सा० 2 के कथन लेखबद्ध करना बताते हैं। उक्त साक्षियों की साक्ष्य सारवान प्रकृति की न होकर औपचारिक है जिसका अभियोजन के मामले व अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर कोई सारवान प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 13. प्रकरण में जब्तीकर्ता अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि अभियुक्त को गिर० कर मय आग्नेय आयुध थाने पर आकर रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टि की थी। प्र0पी० 5 की प्राथमिकी में

रोजनामचा सान्हा का क्रमांक अवश्य अंकित है किन्तु रोजनामचा सान्हा जो कि लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आता है उसे प्राइवेट दस्तावेज की भांति मूल से प्रमाणित किए जाने के संबंध में विधि उपबंध करती है। ऐसे में अभिकथित रोजनामचा सान्हा को विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसे में जब्दीकर्ता एवं पुलिस के द्वारा की गयी कार्यवाही सुसंगत दस्तावेजों के अभिसमर्थन के अभाव में प्रमाणित नहीं होती है।

- 14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 17.11.15 को समय 09:45 बजे, नावली रोड शर्मा फार्म हाउस के आगे रोड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति एक कट्टा 315 बोर मय जिंदा कारतूस रखा। अतः अभियुक्त जयकुमार को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—बी) ए के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका दप्रस की धारा 437 क के अधीन 6 माह तक प्रभावी रहेगा।
- 16. प्रकरण में जब्तशुदा कट्टा व कारतूस अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजे जावे। अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 17. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहा हो, तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला मिण्उ मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश